बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक– 30-8-17

श्री अल्लामा मुख्तार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 987/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, अतरी, गया को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 20.06.2007 को रू0 10,000/–रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया एवं निगरानी थाना कांड संख्या 78/07 दिनांक 21.06.2007 दर्ज किया गया।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए संकल्प ज्ञापांक 7571 दिनांक 24.07.2007 द्वारा दिनांक 21.06.2007 के प्रभाव से श्री मुख्तार को निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5175 दिनांक 03.06.2009 द्वारा श्री मुख्तार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 720 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अंतिम निष्कर्ष से असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक 11544 दिनांक 21.08.2014 द्वारा श्री मुख्तार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त निदेश के आलोक में श्री मुख्तार द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 08.09.2014 समर्पित किया गया।

4. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मुख्तार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मुख्तार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चिय किया गया।

5. उपर्युक्त विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा असहमति संसूचित की गयी।

6. प्रासंगिक मामले की समीक्षा के उपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत श्री अल्लामा मुख्तार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 987/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, अतरी, गया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध **सेवा से बर्खास्तगी** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. श्री मुख्तार के विरूद्ध विनिश्चित उपर्युक्त सेवा से बर्खास्तगी के दंड को अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गयी।

8. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10472 दिनांक 21.07.2015 द्वारा श्री मुख्तार के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित किया गया।

9. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13136 दिनांक 03.09.2015 द्वारा श्री मुख्तार के निलंबन को औचित्यपूर्ण मानते हुए उनके निलंबन अवधि दिनांक 21.06.2007 से 20.07.2015 तक के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का निर्णय संसूचित किया गया।

10. श्री अल्लामा मुख्तार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 1142/2015 एवं आई०ए० संख्या 6719/2015 में दिनांक 16.05.2016 को पारित न्यायादेश की छायाप्रति श्री मुख्तार के अभ्यावेदन दिनांक 11.07.2016 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"16. This takes us to the last submission of the petitioner that the punishment of dismissal from service is too harsh and excessive. The petitioner submits that the

(कृ०पृ०उ०)

inquiry officer did not find charged proved against him and as such, the extreme punishment of dismissal from service may be reconsidered. The submission of the petitioner is not completely devoid of merit. Furthermore, there is no prior act of omission and commission, except for the incident in question.

17. In vew of the above, the matter is remitted to the disciplinary authority for reconsideration of punishment of dismissal from service.

18. With the aforesaid observation, the writ application is disposed of."

11. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश दिनांक 16.05.2016 के आलोक में प्रासंगिक मामले की पुनः समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय आदेश ज्ञापांक 12695 दिनांक 19.09.2016 द्वारा श्री मुख्तार के विरूद्ध संसूचित सेवा से बर्खास्तगी के दंड को पूर्ववत बरकरार रखने का निर्णय संसूचित किया गया।

12. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1142/2015 अल्लामा मुख्तार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 16.05.2016 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध श्री मुख्तार द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 1561/2016 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया। उक्त एल0पी0ए0 संख्या 1561/2016 में दिनांक 18.10.2016 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"23. We accordingly set aside the order, dated 21.07.2015, imposing upon the appellant the penalty of dismissal from service, as it does not show application of mind over the explanation submitted by the appellant in response to the communication, dated 21.08.2014. The order, dated 21.07.2015, is accordingly quashed having been passed in violation of principles of natural justice. The State respondents, particularly, respondent No.2 is directed to ensure that an order is passed afresh, dealing with each of the points raised in the explanation submitted by the appellant, within a period of two months from the date of receipt/production of a copy of this order.

24. It will be open to the respondents to supply to the appellants detailed tentative notes of disagreement afresh recording reasons why the report of the Inquiry Officer could not be accepted and on the basis of materials on record, charge framed against the petitioner could be said to have been proved. In such circumstances, the appellant shall be given adequate opportunity to respond to the detailed tentative notes of disagreement. In any case, the entire exercise must be completed within the aforesaid period of two months.

25. CWJC No. 1142 of 2015 is allowed to the extent above. The order under appeal, dated 16.05.2016 passed by the learned single Judge in CWJC No. 1142 of 2015, is set aside.

26. The appeal is allowed with the observations/directions as above."

13. उपर्युक्त न्यायादेश दिनांक 18.10.2016 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम–9(5) के प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16593 दिनांक 14.12.2016 द्वारा श्री मुख्तार की सेवा से बर्खास्तगी से संबंधित विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10472 दिनांक 21.07.2015 को निरस्त करते हुए श्री मुख्तार को दिनांक 21.07.2015 से अगले आदेश तक लिए निलंबित करते हुए मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया गया। साथ ही संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से असहमति के निर्धारित बिन्दुओं पर श्री मुख्तार से अभ्यावेदन की मांग किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया।

(कृ0पृ0उ0)

14. विभागीय पत्रांक 16607 दिनांक 14.12.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से असहमति के बिन्दुओं पर श्री मुख्तार से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

उपर्युक्त निदेश के आलोक में श्री मुख्तार द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 30.12.2016 समर्पित किया गया। अभ्यावेदन में श्री मुख्तार का कहना है कि उन्होंने कोई घूस की राशि प्राप्त नहीं की थी उनका हाथ का धोवन लाल दर्शाना उनके विरूद्ध किया गया षड्यंत्र है। जिसे जाँच पदाधिकारी ने षड्यंत्र ही करार दिया है। घोल का रंग गुलाबी दिखाना केवल एक रासयनिक प्रक्रिया है। जब परिवादी ही घूस के लेन–देन की प्रक्रिया से अनुपस्थित है तो फिर हाथ के धोवन का रंग लाल दर्शाए जाने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। इनका यह भी कहना कि उनके नव–पदस्थापित स्थान प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय अतरी में योगदान (11.05.2007) से लगभग डेढ़ माह पूर्व दिनांक 25.03.2007 को ही इनके कार्यालय के लिये जिला उद्यान कार्यालय, गया से निर्गत था, जिसे परिवादी ने स्वंय जिला उद्यान कार्यालय गया से प्राप्त किया था परन्तु अंचल कार्यालय को निष्पादन हेतु उपलब्ध नहीं कराया था। यदि आरोपी के विरूद्ध षड्यंत्र नहीं होता तो, इसकी पूरी सम्भावना थी कि कार्य का निष्पादन आरोपी के अतरी योगदान के पूर्व ही हो जाता। साथ ही श्री मुख्तार यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत धारा–7/13(2) सह पठित धारा–13(1)(D) के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से व्यवहार न्यायालय, पटना में दायर अपराधिक मुकदमा में विशेष न्यायाधीश, निगरानी (ट्रैप केस) पटना के द्वारा दिनांक 16.12.2016 को पारित आदेश में उन्हें आरोपों से बरी किया गया है।

15. प्रतिवेदित आरोप, श्री मुख्तार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मुख्तार द्वारा अपने अभ्यावेदन में कहा गया है कि जबरन घूस देने का तीन प्रयास किया गया। अंततोगत्वा राशि जमीन से बरामद की गयी, जबकि निगरानी धावा दल द्वारा प्रस्तुत पोस्ट ट्रैप मेमोरेन्डम में अंकित है कि रिश्वत की राशि में फिलोफ्थलीन लगाया गया था। श्री अल्लामा मुख्तार के दोनों हाथों की उँगलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाये जाने पर सफेद घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिससे स्पस्ट है कि घूस की राशि को श्री मुख्तार द्वारा हाथ में लिया गया था। श्री मुख्तार द्वारा अभ्यावेदन में स्वयं स्वीकार किया है कि परिवादी ने स्वयं जिला उद्यान कार्यालय से पत्र प्राप्त कर बिना अंचल कार्यालय, अतरी (गया) में प्राप्ति कराये उनसे (आरोपी पदाधिकारी) पृष्ठांकन कराकर रख लिया। नियमतः किसी भी कार्यालय से पत्र निर्गत होने के पश्चात् पत्र को चपरासी बही, डाक, फैक्स, ई–मेल से संबंधित कार्यालय को भेजा जाता है। संबंधित कार्यालय के प्राप्ति पंजी में दर्ज होने के पश्चात् उसपर कार्रवाई की जाती है। आरोपी पदाधिकारी का यह कहना कि कार्यालय के प्राप्ति पंजी में बिना दर्ज कराये ही परिवादी द्वारा उनसे पृष्ठांकन करा लिया गया, जो विरोधाभासी बयान को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है, जो कदाचार है।

16. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अल्लामा मुख्तार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 987/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, अतरी, गया सम्प्रति निलंबित के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही श्री मुख्तार को निलंबन मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् **"पाँच वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा पाँच वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक"** का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

17. श्री मुख्तार के सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त किये जाने एवं विनिश्चित दंड पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गयी।

(कृ०पृ०उ०)

18. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर मंत्रिपरिषद द्वारा दी गयी स्वीकृति के आलोक में एल0पी0ए0 सं0 1561/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 18.10.2016 के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त किये जाने के उपरान्त श्री अल्लामा मुख्तार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 987/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, अतरी, गया सम्प्रति निलंबित को निलंबन मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) पाँच वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक तथा

(ii) पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(भीम प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2/नि0का0–307/2007 –सा0प्र0– 6489 /पटना, दिनांक– 30-5-17

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 23.05.2017 को आहुत मत्रिपरिषद् की बैठक में लिए गये निर्णय के संबंध में/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/श्री अल्लामा मुख्तार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 987/11, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री अल्लामा मुख्तार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 987/11 को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापन की प्रत्याशा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

30/5/17

सरकार के संयुक्त सचिव।